कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर)
एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

पत्रांकः509 /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 26 /02/2020

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः- नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के स्थापन के संबंध में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी एस0आई0ए0एस0 रिपोर्ट पर बहुशासकीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को गौतमबुद्धनगर की जिला वेबसाईट पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नामक पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के स्थापन हेतु ग्राम जेवर बांगर की 48.097 हेक्टे0 भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) हेतु नामित एजेन्सी द्वारा तैयार की गयी सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समूह द्वारा दिये गये सुझावों के समायोजन के उपरान्त तैयार की गयी रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 08.02.2020 को सम्पन्न हुई। बैठक में बहुशासकीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों की एक प्रति को गौतमबुद्धनगर की जिला वेबसाईट पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

अतः सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर बहुशासकीय विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त सिफारिशों की प्रति को गौतमबुद्धनगर की जिला वेबसाईट पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

26/02/20

(बलराम सिंह)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।
o/c

जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में प्रस्तावित नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से संबंधित पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक भूमि 48.097 हे0 के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) के लिये नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी SIA रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की बैठक दिनांक 08.02.2020 की कार्यवृत्ति –

1. बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति संलग्न है।
2. पूर्व बैठक दिनांक 10.01.2020 के संबंध में Expert Group द्वारा निम्न Observations दिये गये थे –
   A. Agriculture census के डेटा का उपयोग कर Survey census का मिलान कर लें।
   B. PAF (Project Affected Family) के संबंध में Youth Profile बनाये, जिसमें Educational Qualification आदि का उल्लेख हो।
   C. PAF (Project Affected Family) के संबंध में Occupational Distribution को Review करें तथा Agriculture एवं Non agricultural activities के Indicaters को चिन्हित करें। साथ ही इम्पलायमेन्ट व नॉन इम्पलायमेन्ट के डेटा को भी Review करें।
   D. CPR (Common Property Resource) के संबंध में ऑकडों को पुनः Review करें।
   E. Vulnerability के संबंध में ऑकलन को पुनः Review करें।

   उक्त के कम में SIA निर्धारण हेतु नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के टीम ने संशोधित SIA रिपोर्ट तैयार कर Expert Group के समक्ष विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत की।
3. नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट/विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा नौएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में अवगत कराया कि वर्तमान में किसानों से ली जाने वाली समस्त भूमि का अर्जन कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा वर्तमान में परियोजना स्थल पर तार फेन्सिंग का कार्य प्रगति पर हैं। इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण मंत्रालय की Expert Appraisal Committee (EAC) ने अपनी 48वीं बैठक दिनांक 28.01.2020 में जेवर एयरपोर्ट को Environment Clearance (EC) प्रदान किये जाने की संस्तुति कर दी है।
4. अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर एवं डिप्टी कलेक्टर, जेवर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम जेवर बांगर का राजस्व क्षेत्रफल 2105.10 हे0 है, जिसमें से मात्र 48.097 हे0 भूमि के अर्जन हेतु SIA का अध्ययन किया गया है तथा स्थल पर किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण नही है।
5. SIA निर्धारण हेतु नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के टीम ने तैयार की गयी SIA रिपोर्ट के संबंध में पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन दिया। विशेषज्ञ समूह द्वारा विस्तार से प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया तथा सुझाव दिया कि "Vulnerability, Agriculture Labour एवं Youth Porfile को Statistical Data के रूप में Represent कर रिपोर्ट में सम्मिलित कर लें।"
6. ग्राम प्रधान रोही एवं किशोरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कई प्रभावित कृषकों ने जमीन के मुआवजे से दूसरे क्षेत्रों में जमीन क्रय की है। तथा कृषकों द्वारा मुआवज़े के उपरांत अपनी भूमि का कब्जा जिला प्रशासन को दे दिया है।
7. अंत में विशेषज्ञ समूह के उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 05 को सम्मिलित करते हुये नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति प्रदान की। Expert Group (विशेषज्ञ समूह) इससे भी सहमत है कि आर0एण्डआर0 हेतु आवश्यक भूमि 48.097 हे0 Absolute bare minimum (अति न्यूनतम) है तथा इससे कम सीमा तक विस्थापित किये जाने संबंधी अन्य विकल्प उपलब्ध नही है। Expert Group (विशेषज्ञ समूह) अपनी इस संस्तुति के साथ SIA रिपोर्ट संलग्न कर उ0प्र0 राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करती है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

S P Singh 13/2/20
(प्रो0 एस0पी0 सिंह)
चैयरमैन
विशेषज्ञ समूह (Expert Group)